रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-223231
CG-DL-W-21112020-223231

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2020, शनिवार/ कार्तिक 17—कार्तिक 23, 1942

No. 42] NEW DELHI, NOVEMBER 8— NOVEMBER 14, 2020, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2020

का.आ. 993.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री दिनेश कुमार खारा (जन्म तिथि: 28.8.1961) को दिनांक 7.10.2020 को अथवा उसके पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2020-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

का.आ. 998.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक डॉ. शशांक सक्सेना के स्थान पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 8/3/2017-बीओ-II]

संजय कुमार झा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th November, 2020

S.O. 998.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government hereby nominates Dr. Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, Department of Financial Services as a Director on the Board of Directors of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) vice Dr. Shashank Saksena with immediate effect and until further orders.

[F. No. 8/3/2017-BO-II]

SANJAY KUMAR JHA, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 999.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, प्रधान आयुक्त कार्यालय सीमाशुल्क: हवाई कार्गो आयात, नई दिल्ली जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-11017/3/2017-हिन्दी-2 डीओआर]

डॉ. सतीश चन्द्र, निदेशक

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th November, 2020

S.O. 999.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the central government, herby notifies, Central Board of Indirect Taxes & Customs Office of The Principal Commissioner Customs: Air Cargo Import, New Delhi, where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-II DOR]

Dr. SATISH CHANDRA, Director (OL)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 1000.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्त का कार्यालय, मुंबई पश्चिम जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-11017/3/2017-हिन्दी-2 डीओआर]

डॉ. सतीश चन्द्र, निदेशक